13/5/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई।
वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा.पत्र. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (राज.)

GCMS
2024/717

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.15 18:00:42 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

कालूराम वगैरा **बनाम** कृष्णलाल वगैरा

किस्म मुकदमा:–251(क) आर.टी.ए. (पाईप लाईन स्वीकृति) प्रकरण सं.:–312/2024 (GCMS 2024/717)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण के नाम से वाके चक 3 पीपीएम की जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 73 के खाता संख्या 20/11 के पत्थर नं. 29/18 (92) के किला नं. 5 ता 7 में 0.759 हैक्टर कमाण्ड व पत्थर नं. 29/25 (88) के किला नं. 11, 20, 23/2 में 0.620 हैक्टर कुल 1.379 हैक्टर खातेदारी भूमि बहिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण ने पत्थर नं. 29/18 (92) के किला नं. 5 में ट्यूबवैल लगा रखा है। जिससे जरिये पाईप लाईन इसी खाता के रकबा पत्थर नं. 29/25 के किला नं. 20 में ले जाना चाहता है। जिसमें पत्थर नं. 29/17 (87) का किला नं. 25 से होकर गुजरती है। उक्त किला नं. 25 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण लघु सीमान्त कृषक है। बिना ट्यबवैल सिंचाई के खेती सम्भव नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अंकित भूमि चक 3 पीपीएम के पत्थर नं. 29/17 के किला नं. 25 के पश्चिमी पासा में तीन फुट गहरी पाईप डालने की स्वीकृति प्रदान करें। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 को जरिये पंजीकृत नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–01 बावजुद पंजीकृत नोटिस उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। मौका रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक वृत बीरमाना अनुसार प्रस्तावित पाईप लाईन पेयजल व सिंचाई सुविधा हेतु आवश्यक है एवं अन्य कोई इससे छोटा रास्ता पाईपलाईन हेतु नही है। मौका पर किसी प्रकार का कोई स्थगन/विवाद पेश नही किया गया है। यदि पाईप लाईन किला नं. 25 में से दबाकर लाई जाती है तो कोई पेड़ या मकान का नुकसान नही है। पाईप लाईन सम्बन्धित काश्तकार द्वारा स्वयं के खर्च पर भूमि में निर्धारित मापदण्ड अनुसार नीचे दबा कर ही ले जायी जाने का प्रावधान है। प्रार्थीगण द्वारा पाईप लाईन दबाने हेतु की स्वीकृति किये जाने से राज्य हित को कोई नुकसान नहीं है। प्रार्थना–पत्र पर किसी पक्षकार द्वारा उपस्थित नही होने व भूमि उपज बढ़ाने में मददगार होने के आधार पर प्रार्थना–पत्र स्वीकृति योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन अच्छी किस्म की, तीन फुट से नीचे दबी होनी चाहिए तथा सम्बन्धित काश्तकारान अप्रार्थीगण की फसलों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इस शर्त पर भूमिगत पाईप लाईन की स्वीकृति दिया जाना हम उचित समझते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के नाम से अंकित वाके चक 3 पीपीएम के पत्थर नं. 29/18 (92) के किला नं. 5 में ट्यबवैल लगा रखा है में से प्रार्थीगण के खातेदारी रकबा पत्थर नं. 29/25 के किला नं. 20 में पाईपलाईन ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या–01 के नाम अंकित रकबा पत्थर नं. 29/17 (87) के किला नं. 25 के पूर्वी पासा में दक्षिण से उत्तर दिशा में तीन फुट चौड़ाई में तथा 165 फुट चौड़ाई में यानि कुल 0.0046 हैक्टर रकबा में पाईप लाईन को स्वीकृति इस शर्त के साथ जा[illegible] की हो तथा भूमिगत पाईप लाईन तीन फुट से नीचे दबी होनी चाहि[illegible]न्धित काश्तकारान की भूमि पर फसल को किसी प्रकार का [illegible]पलाईन के रकबा के बदला में अप्रार्थी संख्या–01 को वर्तमान [illegible] डीएलसी दर की 10 प्रतिशत से मुआवजा राशि तहसीलदार सूरतगढ़ के [illegible] जमा करवायें। तहसीलदार सूरतगढ़ प्रार्थीगण द्वारा जमा करवाई राशि अप्रार्थी संख्या–0[illegible] नियमानुसार अदा करेगा। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सूरतगढ़ के [illegible] जारी होकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	2919 13/05/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.15 18:00:42 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

क्रमांक / राजस्व / प्रा.पत्र / 312 / 2024 / 2919　　　　　　　　दिनांकः– 13.05.2025

तहसीलदार
सूरतगढ़

विषयः–राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 312 / 2024 कालूराम वगैरा बनाम कृष्णला वगैरा अन्तर्गत धारा 251–क आर0टी0ए0 में पारित निर्णय दिनांक 13.05.2025 की पालना करने हेतु।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के नाम से अंकित वाके चक 3 पीपीएम के पत्थर नं. 29 / 18 (92) के किला नं. 5 में ट्यबवैल लगा रखा है में से प्रार्थीगण के खातेदारी रकबा पत्थर नं. 29 / 25 के किला नं. 20 में पाईपलाईन ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या–01 के नाम अंकित रकबा पत्थर नं. 29 / 17 (87) के किला नं. 25 के पूर्वी पासा में दक्षिण से उत्तर दिशा में तीन फुट चौड़ाई में तथा 165 फुट चौड़ाई में यानि कुल 0.0046 हैक्टर रकबा में पाईप लाईन को स्वीकृति इस शर्त के साथ जारी की जाती है कि पाईप अच्छी किस्म की हो तथा भूमिगत पाईप लाईन तीन फुट से नीचे दबी होनी चाहिए ताकि सम्बन्धित काश्तकारान की भूमि पर फसल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। प्रार्थीगण उक्त स्वीकृत पाईपलाईन के रकबा के बदला में अप्रार्थी संख्या–01 को वर्तमान प्रचलित डीएलसी दर की 10 प्रतिशत से मुआवजा राशि तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष जमा करवायें। तहसीलदार सूरतगढ़ प्रार्थीगण द्वारा जमा करवाई राशि अप्रार्थी संख्या–01 को नियमानुसार अदा करेगा।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.15 18:00:42 IST
Reason: SelfAttested